बामनवास

22/1/25 उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 13-2-25 को पेश हो।

13/2/25 उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 5-3-25 को पेश हो।

05/03/25 उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 07/03/25 को पेश हो।

उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दि. ____ को पेश हो।

रीडर

7/3/25 वकील प्रार्थी उप०/ वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई/ पत्रावली वास्ते आदेश दि. 21-3-25 को पेश हो/

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

21/3/25 वकील प्रार्थी उप०/ वकील प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/ पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे/

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बामनवास

पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना आर.जे.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 26/2022

छाया देवी पत्नी शंभूदयाल, जाति ब्राह्मण, निवासी रिवाली, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, प्रार्थीया

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136

भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 21.3.2025

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया छाया देवी द्वारा कथन किया गया है कि वह ग्राम रिवाली तहसील बामनवास की स्थाई निवासी है जहाँ विमला देवी, सुनीता देवी, आरती देवी व प्रार्थीया की क्रयशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1732 रकवा 0.56 हैक्टेयर, 1741 रकवा 0.09 हैक्टेयर, 1742 रकवा 0.48 हैक्टेयर व 1731 रकवा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.28 हैक्टेयर स्थित हैं जिनमें प्रार्थीया का राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा दर्ज है, अपने हिस्से की भूमि को प्रार्थीया ही काश्त कर सरकारी लगान अदा करती चली आ रही है । प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजियात् में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा है, उक्त आराजियात् विमला देवी, सुनीता

उपजिला कलक्टर

बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

देवी व आरती देवी के साथ ही प्रार्थीया ने रामकला व रामविलासी पुत्रगण रामरतन, जाति गुर्जर से सन् 2010 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की थी जिसका नामान्तरकरण भी विक्रय पत्र के आधार पर खोला जा चुका है किन्तु रजिस्ट्री का लेखन हाथ से होने के कारण नामान्तरकरण खोले जाते समय प्रार्थीया के नाम को राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण 'छाया' के स्थान पर 'धापा' राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम छाया पत्नी शंभूदयाल ही है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में, प्रार्थीया के अन्य खातों में तथा राशन कार्ड, परिचय पत्र आदि सभी प्रकार के राजकीय दस्तावेजों में भी प्रार्थीया का नाम छाया पत्नी शंभूदयाल ही दर्ज है। धापा पत्नी शंभूदयाल, जाति ब्राह्मण नाम की कोई महिला ग्राम रिवाली में नहीं है। प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया गया है कि प्रार्थीया के नाम का गलत अंकन होने से प्रार्थीया को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा उक्त गलत प्रकार से नाम का अंकन हो जाने से प्रार्थीया अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता आदि भी प्राप्त नहीं कर पा रही है और न ही कोई के.सी.सी. प्राप्त कर पा रही है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत अंकन बने रहने से प्रार्थीया के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। प्रार्थीया के नाम का गलत अंकन राजस्व कर्मचारियों की भूलवश हुआ है

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

जो लिपिकीय त्रुटि है जिसको कि न्यायहित में शुद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है। दिनांक 24.3.2022 को जब वह अपनी उक्त भूमि पर के.सी.सी. लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गई तो उसके द्वारा प्रार्थीया का नाम गलत अंकित होने बाबत बताया गया, जिस पर प्रार्थीया ने सभी दस्तावेजो की नकलें प्राप्त की तथा तहसीलदार बामनवास से संशोधन हेतु कहा, लेकिन तहसीलदार बामनवास ने न्यायालय से इस बाबत आदेश लाने को कहा है। जिसके आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि तहसीलदार बामनवास को इस सम्बन्ध में आदेश फरमाया जावे कि वह प्रार्थीया की कयशुदा खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1732 रकवा 0.56 हैक्टेयर, 1741 रकवा 0.09 हैक्टेयर, 1742 रकवा 0.48 हैक्टेयर व 1731 रकवा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.28 में प्रार्थीया का नाम धापा पत्नी शंभूदयाल के स्थान पर छाया पत्नी शंभूदयाल संशोधित कर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित करे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया छाया देवी द्वारा अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया, विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का समर्थन किया गया तथा

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया के नाम में गलती सहवन से हो जाने का कथन करते हुए उसे शुद्ध किया जाना उचित बताया है ।

बहस पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पत्रावली यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की है । विक्रयपत्र की फोटो प्रति भी प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश की है । रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की फोटो प्रति को देखने से स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थीया द्वारा क्रय किए जाने के समय अपना नाम छाया देवी पत्नी शंभूदयाल ही अंकित करवाया था, परन्तु सहवन से छाया देवी के स्थान पर धापा देवी अंकित हो गया है । तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी उनके द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है तथा साथ ही उपरोक्त गलती को दुरुस्त किया जाना भी उचित माना है । ऐसे में प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किए गए कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

दिया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 1732 रकवा 0.56 हैक्टेयर, 1741 रकवा 0.09 हैक्टेयर, 1742 रकवा 0.48 हैक्टेयर व 1731 रकवा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.28 हैक्टेयर स्थित ग्राम रिवाली, तहसील बामनवास में प्रार्थीया का नाम धापा देवी पत्नी शंभूदयाल के स्थान पर छाया देवी पत्नी शंभूदयाल, जाति ब्राह्मण दर्ज किया जावे । इस हेतु तहसीलदार, बामनवास को तहरीर जारी हो ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

आदेश आज दिनांक 21.3.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner